

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): UNA Year(वर्ष): 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0004 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 31/03/2022 11:57 AM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From(दिनांक से): Date To(दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 30/03/2022 Time (समय): 12:54 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 004 Time (समय): 31/03/2022 11:24 AM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Akshey Kumar
(b) Father's Name (पिता का नाम): K.D Sharma
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	COLONY-Shivalik Hospital , VILLAGE-Near Police Line Jhalera , TEHSIL-Una , DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	COLONY-Shivalik Hospital , VILLAGE-Near Police Line Jhalera , TEHSIL-Una , DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	T.B Singh		COLONY-Scientific Officer ,VILLAGE-Polution Control IBoard ,TEHSIL-Parwanoo,PS-PARWANOO,DISTRICT-SOLAN,STATE-HIMACHAL PRADESH,	COLONY-Scientific Officer ,VILLAGE-Polution Control IBoard ,TEHSIL-Parwanoo,PS-PARWANOO,DISTRICT-SOLAN,STATE-HIMACHAL PRADESH,

			INDIA	INDIA
--	--	--	-------	-------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
-----------------	-----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

दिनांक 30.03.2022 को थाना में शिकायतकर्ता अक्षय कुमार द्वारा दिया गया शिकायत पत्र थाना प्रभारी द्वारा प्रारम्भिक छानबीन हेतु उप निरीक्षक जसवीर चन्द को दिया गया था। शिकायत पत्र का मजबूत इस प्रकार है:- सेवा में, प्रभारी पुलिस थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। विषय : श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer Pollution Control Board परमाणु, जिला सोलन द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए 35 हजार रुपये रिश्त के रूप में मांग किए जाने बारे शिकायत पत्र। श्रीमान जी, निवेदन इस प्रकार से है कि मैं डाक्टर अक्षय कुमार पुत्र श्री के.डी. शर्मा C/o शिवालिक होस्पिटल Near Police Line Jhalera, Distt. Una का रहने वाला हूँ तथा शिवालिक होस्पिटल का मालिक हूँ। Pollution Control विभाग के अधिकारी वातावरण प्रदूषण न होने के सम्बन्ध में तथा अस्पताल को Pollution मुक्त चलाने के लिए अपना Consent for Authorization/Renewal of Authorisation सर्टिफिकेट देते हैं। Pollution Free Certificate को प्राप्त करने के लिए मैंने माह नवम्बर 2021 को आवेदन किया तथा, जिसके साथ मैंने 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट नम्बर 570556 दिनांक 20-11-2021 अलग से Sr. Scientific Officer HP State Pollution Control Board Parwanoo, Solan के नाम संलग्न किया था। इसके पश्चात श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer Pollution Control Board परमाणु, जिला सोलन मार्च 2022 में अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए ऊना आए थे। जिनके द्वारा निरीक्षण के पश्चात मुझे Pollution Clearance Certificate नहीं दिया गया तथा मेरा आवेदन लम्बित रखा गया। जो इसके पश्चात मैंने 10 मार्च 2022 को HP State Pollution Control Board की साईट पर Online आवेदन किया। जो अभी तक भी लम्बित है। मैंने श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer से इस सम्बन्ध में टेलिफोनिकली बात की तथा Consent for Authorization/Renewal of Authorisation सर्टिफिकेट न देने के बारे में पूछा तो इसने मुझे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछा तथा कहा कि आपने यह मेरे आदमी से क्यों नहीं लगवाया है। जिस पर इसने फोन काट दिया तथा मुझे कहा कि Whats App पर बात करो। इसके बाद मैंने इसे इसके Whats App नम्बर पर काल की तथा फिर से सर्टिफिकेट न देने बारे पूछा। जिस पर इसने पुनः उपरोक्त बात को दोहराया तथा काल काट दी। इस सम्बन्ध में मैंने अपने एक परिचित रणवीर सैणी से बात की जिसने आगे श्री रवि कुमार जो कि व्यास डायगोनिस्टिक सेंटर में कार्यरत है से बात की तथा फिर रवि कुमार ने श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer से बात की। जो बात रवि कुमार की श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer से हुई वह सारी बात रवि कुमार द्वारा मुझे बतलाया गया कि टी. बी. सिंह को यह इसलिये जानता है क्योंकि श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer ने व्यास डायगोनिस्टिक सेंटर का भी सर्टिफिकेट लटका कर ही दिया था। जो मैंने इसे कहा कि आप इससे बात करके देखें वो क्या बोलता है। इसके बाद श्री रवि कुमार द्वारा Scientific Officer Pollution Control Board परमाणु से फोन पर बात की गई तथा मुझे बतलाया गया कि श्री टी.बी. सिंह द्वारा उपरोक्त कार्य करने के लिए 35 हजार रुपये रिश्त के रूप में देने की मांग की गई है तथा ये पैसे इसके द्वारा कल दिनांक 31-03-2022 को परमाणु में आकर देने के लिए कहे गए हैं। श्री टी.बी. सिंह रिश्त के रूप में मांगे गए पैसे मेरे से नहीं लेगा तथा रवि कुमार कुमार ने बतलाया कि श्री टी.बी. सिंह ने इसे मेरे से रिश्त के पैसे 35 हजार रुपये लेकर आने को कहा है। मैंने अपनी व श्री रवि कुमार की बातचीत को फोन के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करके रखा है क्योंकि श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer Pollution Control Board परमाणु, जिला सोलन मेरे से फोन पर सीधेतौर पर बात नहीं कर रहा है। रवि कुमार मेरी तरफ से श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer से बात कर रहा है। मैं श्री टी.बी. सिंह Scientific Officer को किसी भी प्रकार से रिश्त के रूप में कोई पैसा नहीं देना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। Signed in English। डाक्टर अक्षय कुमार पुत्र श्री के.डी. शर्मा, C/o शिवालिक होस्पिटल Near Police Line Jhalera, Distt. Una, HP. 30/03/2022 मोबाईल नं 9805374994। छानबीन के दौरान शिकायतकर्ता के नाम व पता की सत्यता जानने के लिये शिनाख्त प्रमाण चैक किया गया तो शिकायतकर्ता श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री कृष्ण दास शर्मा, नजदीक पुलिस लाईनस, वार्ड नम्बर 1, शिवालिक होस्पिटल, झलेड़ा ऊना, हिमाचल प्रदेश, 174303 का नाम व पता सही पाये गये। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता का अस्पताल शिवालिक होस्पिटल पुलिस लाईनस झलेड़ा के पास है। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.11.2021 को ड्राफ्ट नम्बर 570556 द्वारा 5000 रुपये SR. SCIENTIFIC OFFICER, HP STATE POLLUTION CONTROL BOARD PARWANOO, SOLAN को कागड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक समिती, शाखा झलेड़ा, ऊना से अदा किये हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपने मोबाईल से जो बात रवि कुमार से की है, उसकी रिकार्डिंग मोबाईल के मेमोरी कार्ड में सेव की है। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गयी बातचीत को उसके फोन में ही सुना गया। जिसमें रवि कुमार शिकायतकर्ता श्री अक्षय कुमार की तरफ से बात कर रहा है रवि कुमार की टी. पी. सिंह, Scientific Officer

Pollution Control Board परवाणु, जिला सोलन से जो बात हुई जिसमें उसने कहा है कि “मैं अज भी आन्दा पेया हां जे अज आणा ते अज आ जाओ नहीं ता कल आ जेओं, ओ ज्यादा मंगदा पेया सी ओ केन्दा पहले ओ बन्दे का पता करो, जो लगा के गया है, साला कमा के ता ओ चला गया मैंने उससे भी लेना था कहता। 35 तक मनया।” इस प्रारम्भिक सत्यापन में गुप्त सूत्रों से पता चला है कि टी.पी. सिंह, Scientific Officer, Pollution Control Board परवाणु, जिला सोलन द्वारा ऊना में इस प्रकार के प्रदूषण सम्बन्धी अपनी Consent for Authorization/Renewal of Authorization सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में अनुचित लाभ प्राप्त करता रहा है जिसका आचरण ठीक नहीं पाया गया है। प्रारम्भिक सत्यापन रिपोर्ट में प्राप्त उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर पाया गया है कि टी.पी. सिंह, Scientific Officer, Pollution Control Board परवाणु, जिला सोलन द्वारा शिकायतकर्ता से Consent for Authorization/Renewal of Authorization सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में 35 हजार रुपये रिश्वत की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 का अपराध करना पाया जा रहा है। कार्यवाही पुलिस SI जसवीर चन्द के द्वारा प्रारम्भिक छानबीन करके रिपोर्ट का बारिकी से अवलोकन किया गया। विवरण रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त रिपोर्ट को शब्द व शब्द लिखा गया है। उप नि० जसवीर चन्द की अनुशन्सा के अनुसार टी.पी. सिंह, Scientific Officer, Pollution Control Board परवाणु, जिला सोलन के खिलाफ जुर्म जेर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के वकूह में आना पाया जा रहा है। उपरोक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा जेर धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीकृत थाना किया गया। FIR की प्रतियां वजरिया प्रिन्टर निकाली जा रही है। जो अवलोकनार्थ माननीय अदालत व वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा विशेष प्रतिवेदित है तथा FIR को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाये। मामला फाईल तफ्तीश नि० संजीव कुमार के हवाले की जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Sanjeev Kumar

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Anil Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)